

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: नारायण सिंह चारण, आर०ए०एस०)

अपील संख्या : 06/2018 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. गंगादेवी पत्नी मेवाराम | } | जाति जाट निवासी बरखेडा तहसील बयाना जिला
भरतपुर |
| 2. रज्जोदेवी पत्नी सीयाराम | | |
| 3. रंजनीदेवी पत्नी दलवीर | | |

.....अपीलांत

बनाम

1. चन्दादेवी पत्नी रतनसिंह जाति जाट निवासी बमूरी तहसील बयाना जिला भरतपुर
2. गीतादेवी पत्नी भगवानसिंह जाति जाट निवासी मूडिया तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....रैस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक
10.01.2008 बाबत नामान्तरकरण संख्या 899 वाकै ग्राम
झामरी तहसील बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री महाराज सिंह वकील अपीलान्त
2. श्री हनुमान प्रसाद वकील रैस्पोंड-1

दिनांक : 10.07.2019

निर्णय

यह अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार बयाना की आज्ञा दिनांक 10.01.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत तहसीलदार बयाना द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य यह कि तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 899 दिनांक 10.01.2008 वाकै ग्राम झामरी कानून के खिलाफ किया गया है जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजी की अपीलार्थी खातेदार काश्तकार काविज है। आराजी मुत० के 1/2 हिस्सा को अपीलार्थी ने पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा स्व० श्री प्रभू खातेदार काश्तकार से कय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुने खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है।

२५

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(सम.)



अपीलार्थी विवादित आराजी में 1/2 हिस्से की अभिभाजित की खातेदार काश्तकार काविज रही है और उन्हे किसी भी न्यायालय से कब्जे से बेदखल नहीं किया गया है तथा न ही उनके विक्रय पत्र ही निरस्त किये गये है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना का निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2018 का केवल रैस्पों संख्या 1 के हक में है जबकि रैस्पों संख्या 2 के हक में कोई निर्णय व डिक्री किसी न्यायालय से पारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त रैस्पों संख्या 1 के हक में भी केवल आधे से 1/3 यानी 1/6 हिस्सा की डिक्री दी गई है। आदेश तहत पारित किया गया है वह एक तरफ से प्रभू की विरासत का भरा गया है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय ने केवल 1/3 हिस्सा रैस्पों संख्या 1 तक दावा डिक्री किया है शेष 2/3 हिस्से पर तो इन्द्राज स्व० प्रभू के नाम ही रहने चाहिये थे। विवादित नामान्तरकरण विधि विरुद्ध भरकर स्वीकृत किया है। मौके पर रैस्पों का विवादित आराजी के किसी भाग पर कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व मौके पर कब्जे काश्त की कोई जांच नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विरासत का स्वीकृत किया गया है जो तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और है क्योंकि विरासत के नामान्तरकरण को स्वीकृत करने का अधिकार क्षेत्र केवल ग्राम पंचायत को ही है, उसके 45 दिन तक असमर्थ रहने पर ही तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। अपीलान्तान ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2018 तहसीलदार बयाना बाबत नामान्तरकरण संख्या 899 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।




अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार (भू-अभिलेख) बयाना से अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2018 नामान्तरकरण संख्या 899 की प्रमाणित फोटो प्रति प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्त द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा को अपीलार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड बयाना के द्वारा स्वर्गीय प्रभू खातेदार काश्तकार से कय किया है। अपीलार्थी विवादित आराजी में 1/2 हिस्से की अभिभाजित खातेदार काश्तकार रही है। अपीलान्त बोनाफाईड केता है। विवादित आराजी से किसी भी न्यायालय ने अपीलान्त को कब्जे काश्त से बेदखल नहीं किया है और न ही उनके विक्रय पत्र ही निरस्त किये गये है। योग्य अभिभाषक अपीलान्त का यह भी तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी


Sh
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

बयाना ने निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2018 का केवल रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 चन्दादेवी के हक में है जबकि रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 गीतादेवी के हक में कोई निर्णय डिक्री पारित नहीं किया गया है। रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 चन्दादेवी के हक में केवल आधे से 1/3 यानि कि 1/6 हिस्सा की डिक्री दी गई है। तहसीलदार बयाना ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो नियमों के विपरीत है। उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय डिक्री के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील विचाराधीन है। तहसीलदार ने नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व मौक पर कब्जे काशत की कोई जांच नहीं की है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। अन्त में निवेदन किया है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर तहसीलदार द्वारा खोला गया नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जावे। योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1973 के पेज 13, आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 1136, पेज 1264, आर.आर.डी. 1992 के पेज 304, आर.आर.डी. 1992 के पेज 226, आर.आर.डी. 1985 के पेज 170 उद्धरित की है।



योग्य अभिभाषक रैस्पोंडेन्ट ने अपने कथनों में जाहिर किया कि उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय डिक्री दिनांक 05.01.2018 की पालना में तहसीलदार बयाना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 899 रैस्पोंडेन्ट के हक में स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण स्वीकार करने में तहसीलदार बयाना ने कोई त्रुटि नहीं की है। उनका यह भी कथन है कि अपीलान्त ने उपखण्ड अधिकारी बयाना के फैसले एवं निर्णय डिक्री के खिलाफ माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील दायर कर रखी है जो विचाराधीन है। योग्य अभिभाषक रैस्पोंडेन्ट का यह भी तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय डिक्री एवं इजराय के तहत दर्ज किये गये नामान्तरकरण की अपील न्यायालय श्रीमान् के यहां मैनेटेबिल नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।


हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। प्रार्थना पत्र प्राथमिक एतराज का भी अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 899 दिनांक 10.01.2018 के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 में डिक्री आदेश उपखण्ड अधिकारी बयाना का उल्लेख किया हुआ है। तहसीलदार बयाना ने नामान्तरकरण पर पारित आदेश में उपखण्ड अधिकारी बयाना के आदेश क्रमांक/राजस्व/18/54 दिनांक 08.01.2018 का उल्लेख


अतिरिक्त जिला कलकत्ता
भारत (राज.)

करते हुये नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। इससे यह निर्विवाद है कि तहसीलदार बयाना ने उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय डिक्री इजराय की पालना में यह नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जिसमें तहसीलदार ने कोई त्रुटि नहीं की है। योग्य अभिभाषक अपीलान्त का यह कथन कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 899 राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के स्टे के दौरान खोला गया है स्वीकार योग्य नहीं रहता क्योंकि पत्रावली उपलब्ध प्रमाणित फोटो प्रति आर्डर सीट दिनांक 26.02.2018 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने रैस्पों को विवादित आराजी को रहन, वय, मुत्तकिल न करने के लिये पावन्द किया गया है जबकि तहसीलदार बयाना ने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 899 दिनांक 10.01.2018 को स्वीकार किया है जो माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के स्टे दिनांक 26.02.2018 से पूर्व का है। अस्तु अपील अपीलान्त काविल खारिज के रहती

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सुनाया गया।


(नारायणसिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर